मि0 न0 10/2022 अन्वय सक्सेना V/S पुरुषोत्तम

2-5-2024

पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थीगण अनुपस्थित।** अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 4 की ओर से श्री पंकज कुदेशिया एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थीगण 1 से 4 की ओर से जर्ये वकील खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) रिच देशी घी (मिल्क फूड ब्राण्ड) का विकय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी 1. पुरूषोत्तम गोयल पुत्र रमेश कुमार गोयल उर्फ विमल गोयल, उम्र 47 वर्ष, (विक्रेता एवं मालिक), निवासी–मोती कुंआ ईटावा कोटा राज. मैसर्स– आर.के.ट्रेडिंग महावीर धानमंडी इटावा कोटा राज, पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) 2. अंकित गुप्ता पुत्र श्री कमलेश कुमार खुकेटा, (मालिक), निवासी– प्लाट नं0 74,75,75ए प्लैट नं0 501 महावीर नगर जयपुर, मैसर्स श्री विनायक सेन्ट्रल कॉलोनी शॉप नं0 18–19 प्लॉट नं0 81 रोड़ नं0 VKI जयपुर पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) 3. शीखा गोयल पत्नी अनुज गोयल नि0 बी–2/19ए केशवपुरम औकार नगर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, निवासी–प्लाट नं0 74,75,75ए प्लैट नं0 501 महावीर नगर जयपुर, मैसर्स–AS** फुड B-2/40A, लॉरेन्स रोड़ केशवपुरम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली 110035 पर **5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये)** 4. **राजेश के शोर्य पुत्र श्री बी. सी. शोर्य, उम्र–59 वर्ष, (जनरल मेनेजर क्वालिटी कन्ट्रोल व नोमिनी निर्माता फर्म), निवासी–बी–30/822, पुरी रोड़, आर्य समाज पटीयाला–147001, मैसर्स श्री मिल्क फूड लिमिटेड P.O.** बहादुरगढ़–147021 जिला पटियाला पंजाब (निर्माता फर्म) पर **15000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **अरूण सक्सेना** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

Deposit vide R. No. 09697/059
Dated 14/5/24 Rs. 25000/-

कोषाधिकारी
कार्यालय जिला कलेक्टर
कोटा